उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1141/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.230-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(289)-2023

लखनऊः दिनांकः 21 सितम्बर, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है), की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वह वर्णन जिसे इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किया गया है और यथास्थिति, उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अधीन आती हो, माल के विनिर्माण में लगे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अपनाई जाने वाली निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करती हैं, अर्थात् :-

1. पैकिंग मशीनों का विवरण

7. इस अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित मालों के विनिर्माण में लगे सभी विद्यमान रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से इस अधिसूचना के जारी किए जाने के 30 दिनों के भीतर **प्ररुप एस.आर.एम.-I** में पाउचों या कंटेनरों को भरने और पैक करने के लिए उपयोग की जा रही पैक करने वाली मशीनों के ब्यौरे को प्रस्तुत करेंगे,--

प्ररुप एस.आर.एम.-I

क्रम संख्या.	मशीन का निर्माण और मॉडल नंबर (निर्माता के नाम सहित)	मशीन की खरीद की तारीख	काराबर के स्थान का पता जहां स्थापित किया गयाहै	पटरियों की संख्या	प्रत्येक ट्रैक की पैकिंग क्षमता	मशीन की कुल पैकिंग क्षमता	मशीन द्वारा प्रति घंटे बिजलीकी खपत	सहायक दस्तावेज़	मशीन की यूनिक आईडी (ऑटो पॉप्युलेट होने केलिए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

								<<चार्टेड इंजन से क्षमता प्रमाण पत्र>>	

8. कोई भी व्यक्ति जो इस अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित माल का निर्माण करने का आशय रखता है और जिसे इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, ऐसी रजिस्ट्रेशन के मंजूरी के पंद्रह दिनों के भीतर सामान्य पोर्टल पर प्ररुप **एस.आर.एम.-।** में पाउचों और कंटेनरों को भरने और पैकिंग के लिए उपयोग की जा रही पैकिंग मशीनों के ब्यौरे को पूरा करेगा।

9. कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान में स्थापित की जा रही किसी भी अतिरिक्त भरने और पैकिंग मशीन के ब्यौरे **प्ररुप-एस.आर.एम.आईआईए-।** में ऐसे अवस्थापन के 24 घंटे के भीतर उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

10. **प्ररुप एसआरएम-।** या **प्ररुप एसआरएम-।।क** में ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने पर, प्रत्येक मशीन के लिए एक विशिष्ट आईडी तैयार की जाएगी, जिसके ब्यौरे सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

11. यदि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने किसी अन्य सरकारी विभाग या किसी अन्य अभिकरण या संगठन को विनिर्माण इकाई या उसकी मशीनों को उत्पादन क्षमता प्रस्तुत या घोषित किया है, उक्त घोषणा या प्रस्तुत करने के पंद्रह दिनों के भीतर सामान्य पोर्टल पर **प्ररुप एसआरएम-।क** में उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा :

परंतु यह कि जहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अपनी विनिर्माण इकाई या उसकी मशीनों की उत्पाद क्षमता को किसी अन्य सरकारी विभाग या किसी अन्य अभिकरण या संगठन को इस अधिसूचना को जारी करने से पूर्व प्रस्तुत या घोषित किया है, इस अधिसूचना के जारी किए जाने के तीस दिनों के भीतर सामान्य पोर्टल पर **प्ररुप एसआरएम-।क** में उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

प्ररुप एसआरएम-।क

क्रम संख्या	सरकारी विभाग/किसी अन्य अभिकरण या संगठन का नाम	घोषणा/प्रस्तुति का प्रकार	घोषणा/प्रस्तुति का ब्यौरा
(1)	(2)	(3)	(4)
		<<घोषणा की प्रति को पोर्टल पर अपलोड किया जाना>>	

प्ररुप एसआरएम-।।क

[अतिरिक्त मशीन (नों) के अवस्थापन के ब्यौरे]

क्रम संख्या	मशीन का निर्माण और मॉडल नंबर (निर्माता के नाम सहित)	मशीन की खरीद की तारीख	मशीन की स्थापना की तारीख	कारबार के स्थान का पता जहां स्थापित किया गयाहै	पटरियों की संख्या	प्रत्येक कट्रैक की पैकिंग क्षमता	मशीन की कुल पैकिंग क्षमता	मशीन द्वारा प्रति घंटे बिजली की खपत	सहायक दस्तावेज़	मशीन की यूनिक आईडी (ऑटो पॉप्युलेट होने के लिए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									<<चार्टेड इंजीनियर से क्षमता प्रमाणपत्र>>	

12. कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान से हटाए गए किसी विद्यमान भरने और पैक करने वाली मशीन के ब्यौरे को **प्ररुप एस.आर.एम.-।।ख** में ऐसे हटाए जाने के 24 घंटे के भीतर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

प्ररुप एस.आर.एम.-IIख

[विद्‌यमान मशीन (नों) के हटाए जाने के ब्यौरे]

क्रम संख्या	मशीन की यूनिक आईडी	मशीन का निर्माण और मॉडल नंबर <<ऑटो-पॉप्युलेट>>	मशीन की खरीद कीतारीख <<ऑटो-पॉप्युलेट>>	कारबार के स्थान का पता जहां से मशीन को हटाया जाता है. <<ऑटो-पॉप्युलेट>>	पटरियों की संख्या <<ऑटो-पॉप्युलेट>>	प्रत्येक ट्रैक की पैकिंग क्षमता<<ऑटो-पॉप्युलेट>>	मशीन की कुल पैकिंग क्षमता<<ऑटो-पॉप्युलेट>>	हटाने की तारीख	मशीन को हटाने/निपटान करने के कारण।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									<<तीसरे पक्ष को बेचा गया>> <<कबाड़>>

2. अनुसूची में उल्लिखित माल के विनिर्माण करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्‌वारा रख रखाव किए जाने के लिए अतिरिक्त अभिलेख

3. अनुसूची में उल्लिखित माल के विनिर्माण में लगा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कारबार के प्रत्येक स्थान में **प्ररुप एस.आर.एम.-IIIक** में यथानिर्दिष्ट प्रपत्र में इलेक्ट्रानिक मीटर और जनरेटर सेट मीटर की दैनिक रीडिंग के रिकार्ड के साथ-साथ जनित किए गए अपशिष्ट के ब्यौरे के साथ-

साथ मात्रा और मूल्य के निबंधन में प्रोद्‌यभूत और उपयोग किए जा रहे इनपुट के दैनिक अभिलेख को रखेगा।

4. तथापि, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, कारबार के प्रत्येक स्थान में **प्ररुप एस.आर.एम.-IIIख** में यथाविनिर्दिष्ट एक प्रपत्र में मात्रा और मूल्य के निबंधन में मशीन-वार उत्पादन, उत्पाद-वार और ब्रांड-वार अनापत्ति के ब्यौरे के दैनिक शिफ्ट-वार अभिलेख भी रखेगा।

प्ररुप एस.आर.एम.-IIIक

इनपुट रजिस्टर

	इनपुट का एचएसएन	इनपुट का विवरण	इकाई की मात्रा	प्रारंभिक रोकड़ (इकाइयों में)	खरीदी गई मात्रा (इकाइयों में)	खरीदी गई मात्रा (रुपये में मूल्य)	मात्रा खपत (इकाइयों में)	अंतिम रोकड (इकाइयों में)	उक्त इनपुट (इकाइयों में) के संबंध में उत्पन्न अपशिष्ट
दिन 1	*(1)*	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	एचएसएन *1*								
	एचएसएन*2*								
	एचएसएन*3*								
	....								
	एचएसएन								

दिन2									
दिन3									
......									
महीने का अंतिम दिन									

	बिजली रीडिंग					
	बिजली रीडिंग			जनरेटर सेट मीटर रीडिंग		
	प्रारंभिक मीटर रीडिंग	अंतिम मीटर रीडिंग	खपत (किवा.)	प्रारंभिक मीटर रीडिंग	अंतिम मीटर रीडिंग	खपत (किवा.)
दिन 1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दिन 2						
.....						

मास का अंतिम दिन						

प्ररुप एस.आर.एम.-IIIख

उत्पादन रजिस्ट्रर

दिन		ब्रांड बी.1											ब्रांड 2	ब्रांड बीएन
1		मशीन एम1 (मशीन की विशिष्ट आईडी का उल्लेख करें)								एम.2	एमएल	सभी मशीनों की कुल संख्या	....	....
		पैक किए गए पाउच पी1 की कु	पाउच पी.1 का इकाई मान	पैक किए गए पाउच पी1 का कु	पाउच की कुल संख्या... पी.एन. पी	पाउच का मूल्य ... पी.एन.	पाउच पीएन पैक (वीएन)	मशीन द्वारा पैक किए गए पाउच की कुल संख्याएम.1 (पी.1+ पी.2+.. पी.एन.)	मशीन द्वारा पैक किए गए पाउच का कुल मूल्य एम.1 (रु. मैं) (वी.1+ वी.2+..	...	- - -	सभी मशीनों द्वारा ब्रांड बी.1 का कु		

		लसंख्य		लमूल्य (वी 1)(रुपये में)	.पैकड		काकुल मूल्य (रुपये में)		वी.एन.)			लउत्पादन मूल्य (रुपये)		
	शिफ्ट 1 00:00 से 00.00 घंटे													
	शिफ्ट 2 00:00 से 00.000													

	घंटे													
	शिफ्ट 3 00:00 से 00.00 घंटे													
	दिन के लिए कुल 1													
दिन 2														
माह का … दिन														
	माह													

	के लिए कुल													

3. विशेष मासिक कथन

(1) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के दसवें दिन या उससे पूर्व सामान्य पोर्टल पर **प्ररुप एस.आर.एम-IV** में प्रत्येक माह के लिए विशेष कथन प्रस्तुत करेगा।

प्ररुप एस.आर.एम-IV

अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल के निर्माता द्वारा उपयोग किए गए इनपुट और अंतिम माल का मासिक विवरण

भाग-क

	इनपुट का एचएसएन	इनपुट का विवरण	इकाई कीमात्रा	प्रारंभिक रोकड़ (इकाइयों में)	खरीदी गई मात्रा (इकाइयों में)	खरीदी गई मात्रा (रुपये में मूल्य)	मात्रा खपत (इकाइयों में)	अंतिम शेष राशि (इकाइयोंमें)	उत्पन्न अपशिष्ट मात्रा (इकाइयों में))
महीने के लिए कुल	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	एचएसएन 1								
	एचएसएन 2								
	एचएसएन 3								
	....								
	एचएसएन एन								

मास के	बिजली रीडिंग

लिए कुल 1	बिजली मीटर रीडिंग			डी.जी. सेट मीटर रीडिंग		
	मास के प्रथम दिन प्रारंभिक मीटर रीडिंग	मास के अंतिम दिन अंतिम मीटर रीडिंग	खपत (किवा.)	मास के प्रथम दिन प्रारंभिक मीटर रीडिंग	मास के अंतिम दिन अंतिम मीटर रीडिंग	खपत (किवा.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

माल के उत्पादन का विवरण

भाग-ख

	ब्रांड बी.1											ब्रांड 2	ब्रांडबी एन
	मशीन एम1								एम. 2	एमएन	सभी मशीनोंकी कुलसंख्या	....	....
	पैक किए गए पाउचपी 1 कीकुलसंख्या	पाउच पी. 1 का इकाई मान	पैक किए गए पाउचपी 1 काकुलमूल्य (वी 1) (रुपयेमें)	पाउचकी कुल संख्या ... पी.एन. पी.पैक्ड	पाउच का मूल्य ... पी. एन.	पाउच पीएनपैक (वीएन) काकुलमूल्य(रुपये में)	मशीन द्वारा पैक किए गए पाउच की कुल संख्या एम. 1 (पी.1	मशीन द्वारा पैक किए गए पाउच का कुल मूल्य एम. 1 (रु. में)	...	---	सभी मशीनोंद्वाराब्रांड बी.1 काकुलउत्पादनमूल्य (रुपये)			

								+पी. 2+.. पी.एन.)	(वी.1 +वी. 2+.. वी.एन.)					
	माह के लिए कुल													

अनुसूची

क्रम संख्या	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	पान-मसाला
2.	2401	अनिर्मित तंबाकू (लाइम ट्यूब के बिना) - एक ब्रांड नाम के साथ
3.	2401	अनिर्मित तंबाकू (चूने की ट्यूब के साथ) - एक ब्रांड नाम के साथ
4.	2401 30 00	तंबाकू से इंकार, एक ब्रांड नाम के साथ
5.	2403 11 10	'हुक्का' या 'गुडाकू' तंबाकू जिसका ब्रांड नाम है
6.	2403 11 10	'हुक्का' या 'चिलम' धूम्रपान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तंबाकू जिसे आमतौर पर 'हुक्का' तंबाकू या 'गुडाकू' के रूप में जाना जाता है, जिसका ब्रांड नाम नहीं है
7.	2403 11 90	अन्य पानी पाइप धूम्रपान तंबाकू जो एक ब्रांड नाम नहीं रखते हैं।
8.	2403 19 10	पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण

9.	2403 19 90	ब्रांड नाम वाले अन्य धूम्रपान तंबाकू
10.	2403 19 90	अन्य धूम्रपान वाले तंबाकू जिनका ब्रांड नाम नहीं है
11.	2403 91 00	"होमोजेनाइज्ड" या "पुनर्गठित" तंबाकू, जिसका ब्रांड नाम है
12	2403 99 10	चबाने वाला तंबाकू (चूने की ट्यूब के बिना)
13.	2403 99 10	चबाने वाला तंबाकू (चूना ट्यूब के साथ)
14.	2403 99 10	फ़िल्टर खैनी
15.	2403 99 20	चबाने वाले तंबाकू युक्त तैयारी
16.	2403 99 30	जर्दा सुगंधित तंबाकू
17.	2403 99 40	सुंघनी
18.	2403 99 50	सुंघनी युक्त तैयारी
19.	2403 99 60	तंबाकू के अर्क और एक ब्रांड नाम वाले सार
20.	2403 99 60	तंबाकू के अर्क और सार पर ब्रांड नाम नहीं है
21.	2403 99 70	तंबाकू में कटौती
22.	2403 99 90	पान मसाला जिसमें तंबाकू 'गुटखा' होता है
23.	2403 99 90	पान मसाला के अलावा तंबाकू 'गुटखा' युक्त सभी सामान, एक ब्रांड नाम के साथ
24.	2403 99 90	पान मसाला के अलावा तंबाकू 'गुटखा' युक्त सभी सामान, जिनका ब्रांड नाम नहीं है

स्पटीकरण

4. इस अनुसूची में, “टैरिफ मद”, “शीर्ष”, “उपशीर्ष” तथा “अध्याय” से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 51 सन् 1975) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमश: टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष और अध्याय अभिप्रेत है।

5. उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के निर्वचन के लिए नियम जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची की धारा तथा अध्याय टिप्पण और साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, इस अधिसूचना के निर्वचन में जहां तक वे लागू हैं।

6. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए “ब्रांडनाम” वाक्यांश से ब्रांड नाम या व्यापार नाम चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो अथवा नहीं, जैसा कि कहा जाता है एक नाम या मार्क अभिप्रेत है, जैसे प्रतीक,

मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या लिखा जाना, जो चिह्नित करने के प्रयोजन के लिए ऐसे विशिष्ट माल के संबंध में प्रयोग किया जाता है या ऐसे विशिष्ट माल के मध्य व्यापार के अनुक्रम में संबंध को दर्शित करता हो तथा कुछ व्यक्ति ऐसे नाम या चिह्न के साथ या उस व्यक्ति की पहचान के किसी चिह्नांकन के बिना प्रयोग किया जाता हो।

2. यह अधिसूचना दिनांक 31 जुलाई, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)

अपर मुख्य सचिव